(5)

पत्रांक 557/

कार्यालय अग्निशमन सेवा मुख्यालय, झारखण्ड, राँची।

प्रेषक,

अपर राज्य अग्निशमन पदाधिकारी,
झारखण्ड, राँची।

सेवा में,

श्रीमती सबिता पोद्दार पति श्री विष्णु पोद्दार एवं
संगीता पोद्दार पति श्री विजय पोद्दार,
रामगढ़।

राँची, दिनांक 16/01/13

प्रसंगः– आपका पत्रांक–शून्य, दिनांक–08.06.2012

विषयः– प्लॉट नं0 525, 530, 524, 147, 150 खाता सं0–45,34, 8, 22 रामगढ़, मौजा–कांकेबार, थाना नं0–97 रामगढ़ में बहुमंजिले भवन हेतु अग्निशमन सुरक्षा के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय से संबंधित प्रासंगिक पत्र के साथ संलग्न किये गये प्लान के अनुसार निर्मित होने वाले भवन में अग्नि सुरक्षा के दृष्टिकोण से निम्नलिखित सुझाव दिये जाते हैं :–

1. प्लान में दर्शाये गये संकेत चिन्हों के अनुरूप अग्नि सुरक्षा की व्यवस्था की जाय।
2. प्रस्तावित भवन के सामने वाले भाग में 1,00,000 ली0 क्षमता का एक अन्डरग्राउण्ड स्टैटिक वाटर टैंक का निर्माण कराया जाय।
3. प्रस्तावित भवन के प्रत्येक ब्लॉक के उपर 20,000 ली0 एक–एक टेरेस tank का निर्माण कराया जाय।
4. 2850 एल0पी0एम0 क्षमता का एक टेरेस पम्प लगाये जाने का व्यवस्था की जाय जिसका संबंध चारों ब्लौको के सिस्टम से एक साथ जुड़ा हो।
5. भवन के सभी बालकोनी को पूर्णतः खुला रखने की व्यवस्था की जाय।
6. प्रस्तावित भवन के चारो ब्लौको के उपर 900 ली0 / मि0 क्षमता वाला एक–एक अदद टेरेस पम्प लगाने की व्यवस्था की जाय।
7. समान क्षमता का वैकल्पिक पावर चालित पम्पिंग व्यवस्था रखी जाय।
8. प्रस्तावित भवन में एक अदद फायर लिफ्ट लगाये जाने की व्यवस्था की जाय, जिसकी क्षमता 540 के0जी0 से कम न हो।
9. सीढ़ीयो को Enclosed staircase के रूप में निर्मित किये जायें।
10. भवन में प्रति 400 वर्ग फीट के लिये एक की दर से एक–एक अदद DCP Extinguisher 10 kg. रखे जाने की व्यवस्था की जाय।
11. प्रस्तावित भवन की Wiring व्यवस्था किसी अनुभवी Electrician से ही कराया जाय एवं जगह–जगह MCB का प्रयोग किया जाय।
12. किसी भी बालकोनी को पूर्णतः ग्रील लगाकर बन्द न किया जाय।
13. किसी भी सेटबेक एरिया को किसी भी परिस्थिति में बाधित न किया जाय।
14. भवन में तड़ित चालक लगाने की व्यवस्था की जाय।
15. भवन में निवास करने के पूर्व भवन में संस्थापित किये गये अग्नि सुरक्षा व्यवस्था का विस्तृत प्लान (Hard & Soft Copy में) इस कार्यालय को उपलब्ध कराते हुए जॉच प्रतिवेदन अवश्य प्राप्त कर लेगें।
16. राष्ट्रीय भवन संहिता भाग IV के नियम 6.1 में वर्णित सुरक्षा व्यवस्थाओं का दृढ़ता से पालन किया जाय।
17. अग्नि सुरक्षा की दृष्टिकोण से दिये गये सुझावों के अनुपालन की जॉच इस विभाग से कराने के बाद ही अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जायेगें।
18. प्लान की प्रति सुझाव के साथ हस्ताक्षर कर वापस किये जा रहे हैं।

महानिदेशक का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन

15.1.13

प्रमण्डलीय अग्निशमन पदाधिकारी,
झारखण्ड, राँची।